न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज0)

पीठासीन न्यायाधीश : अल्का शर्मा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण सं. – 272/2026
(CIS No. 354/2026)
(CNR No. RJRS010009342026)
(प्र.सू.रि.सं. – 62/2026, पुलिस थाना केलवाड़ा)

भैरू सिंह पुत्र समर्थ सिंह, निवासी मादरेचों का गुड़ा, पुलिस थाना केलवाड़ा, हाल शिशोदा, थाना खमनोर, जिला राजसमंद (राज.)।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

..... अभियोगी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम)

उपस्थित :–
1. श्री रामचन्द्र देवपुरा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री रामलाल जाट, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

: आदेश :

दिनाँक : 05.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस थाना केलवाड़ा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2026 के प्रकरण में सुनवाई हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रकरण की केस डायरी तलब कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से बहस की गई कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त के जिस तथाकथित मकान से शराब बरामद होना बताया है, उक्त मकान में अभियुक्त 13 वर्षों से गया तक नहीं है, बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त पिछले 13 वर्षों से गांव शिशोदा कला में रहता है तथा उसके समस्त कागजात उक्त निवास के ही बने हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की पहली शादी मंजू कुंवर के साथ हुई थी, जो तथाकथित मकान मादरेचो का गुडा में निवास

करती है तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दूसरी शादी कर लिये जाने पश्चात् पिछले 13 वर्षों से वह ग्राम शिशोदा कला में निवास कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 01.06.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान भी पूर्ण हो चुका है तथा प्रकरण के शेष अनुसंधान व उसके पश्चात् विचारण में लम्बा समय लगेगा। लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे। विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान एक प्रार्थना पत्र के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका की प्रति पेश करते हुए यह भी कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में हस्तगत प्रकरण की FIR Quashing हेतु धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत याचिका प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन है।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त के मकान से भारी मात्रा में अवैध रूप से रखी गई शराब (बीयर) की करीब 200 से अधिक बोतलें बरामद हुई हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी निम्न आपराधिक प्रकरण संस्थित हुए हैं :–

क्रमांक	एफ.आई.आर संख्या	अपराध अन्तर्गत धारा	विशेष विवरण
1	09/2000	323, 341 भा.दं.सं.	न्या. प्र.सं. 06/02, सजा
2	101/2001	447, 386, 147 भा.दं.सं.	न्या. प्र.सं. 81/01
3	27/2003	341, 325/34 भा.दं.सं.	न्या. प्र.सं. 63/03, बरी
4	366/2007	341, 323 भा.दं.सं.	न्या.प्र.सं.267/07
5	84/2008	341, 323 भा.दं.सं.	न्या. प्र.सं. 66/08
6	131/2008	365, 323 भा.दं.सं.	न्या. प्र.सं. 38/09, दोषमुक्त
7	164/2015	341, 323, 325/34 भा.दं.सं.	न्या. प्र.सं. 89/15, दोषमुक्त
8	231/2015	458, 376 डी भा.दं.सं. व 8/12, 17/16 पोक्सो एक्ट	तलाश

लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. हमने उभय पक्षकारान् की बहस सुनी तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 28.04.2026 को परिवादी किशोरसिंह स.उ.नि. ने थानाधिकारी पुलिस थाना देवगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 28.04.2026 को जरिये टीपी सूचना मिलने पर समय करीब 02.40 पीएम पर मादरेचो का गुडा भैरूसिंह पिता समर्थ सिंह के मकान पर भैरूसिंह की लड़की मिली, जिससे पूछने पर भैरूसिंह का घर पर नहीं होना बताया। भैरूसिंह के मकान के पिछले दो कमरों के ताला लगा हुआ था, जिनके ताले तोड़कर तलाशी ली गई तो एक कमरे में कुछ नहीं मिला व दूसरे कमरे में किंगफिशर बीयर के 17 कार्टन्स में प्रत्येक कार्टन्स में 650 एमएल की कुल 204 बोतलें व 330 एमएल की 24 बीयर की बोतलें बरामद की गई..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना केलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 62/2026, धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधान के प्रक्रम पर है।

इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के मकान से अवैध रूप से रखी गई बीयर की बोतलें बरामद होने का आरोप होना बताया गया है। इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 01.06.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से प्रार्थी/अभियुक्त निरंतर अभिरक्षा में चल रहा है तथा उससे अनुसंधान पूर्ण हो जाने का तथ्य केस डायरी के अवलोकन से प्रकट हुआ है। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जाहिर तर्कों पर भी गौर किया गया, जिन्होंने प्रार्थी/अभियुक्त का बरामदगीस्थल वाले मकान में निवास नहीं कर कई वर्षों से अन्यत्र निवास कर रहा होना बताया है। यद्यपि इस प्रक्रम पर उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव व न्यायोचित नहीं है, बल्कि उक्त के संबंध में प्रकरण में साक्ष्योपरांत ही कोई निष्कर्ष दिया जा सकता है। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में उक्त 08 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताये गये हैं, परंतु इनमें से 04 प्रकरणों का निस्तारण होकर 03 प्रकरणों में प्रार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है जबकि शेष प्रकरणों में प्रार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि बाबत् कोई तथ्य अंकित नहीं हैं तथा उक्त सभी प्रकरण अन्य प्रकृति के अपराध से संबंधित हैं, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत

2020 Cr.L.R. (SC) 472 Prabhakar Tewari Vs. State of uttar pradesh & Anr. Reported in (2020) 11 SCC 648 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध अन्य प्रकरण लंबित होने मात्र से ही जमानत आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता है। चूंकि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है और इस प्रक्रम पर प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत होने व उसके पश्चात् विचारण में समय लगने की भी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा, प्रकरण के समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी व राय व्यक्त किये बिना, हम प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

5. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त भैरू सिंह पुत्र समर्थ सिंह, निवासी मादरेचों का गुड़ा, पुलिस थाना केलवाड़ा, हाल शिशोदा, थाना खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) की ओर से पुलिस थाना केलवाड़ा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2026 के प्रकरण में, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से 1,00,000/– रूपये का स्वयं का बंध–पत्र व 50,000–50,000/– रूपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू न्यायालय में नियमित उपस्थिति हेतु विचारण न्यायालय के समाधानप्रद व संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे और अन्य किसी प्रकरण में वांछित ना हो तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(**अल्का शर्मा**)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

आदेश आज दिनाँक **05.06.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(**अल्का शर्मा**)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a

Digitally signed by d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a
Date: 2026.06.22 09:04:52 +05'30'